क्रम-संख्या—265

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 18 सितम्बर, 2002

भाद्रपद 27, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1820/सत्रह-वि०-1—1 (क)-21—2002

लखनऊ, 18 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 पर दिनांक 17 सितम्बर, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2002)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 15 जुलाई, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जाय।

अधिनियम संख्या 9 सन् 1910 की धारा 2 का संशोधन

2—भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,—

(क) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(ग ग) 'अनुबन्धित भार' का तात्पर्य भार की उस मात्रा से है जिसके लिए उपभोक्ता ने प्रदायकर्ता के साथ अनुबंध निष्पादित किया हो या ऊर्जा के उपभोग के लिए घोषणा की हो, और जहां ऐसा कोई अनुबन्ध निष्पादित न किया गया हो, वहां प्रदायकर्ता द्वारा उसे स्वीकृत किये गये भार से है;"

(ख) खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ड ड) 'प्रदायकर्ता' का तात्पर्य किसी लाइसेंसी, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, सरकार या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति से है जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जनता को ऊर्जा का प्रदाय किये जाने के कारबार में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत उसका प्रतिनिधि भी है।"

धारा 39 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 39 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"(1) जो कोई किसी एक दर सूची के अनुसार प्रदाय की गयी किसी ऊर्जा का प्रयोग ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जिसके लिए उच्चतर टैरिफ लागू है ; या

(क) धारा 26 में निर्दिष्ट मीटर के माध्यम से अन्यथा ; या

(ख) ऐसे मीटर या उसकी सील या यंत्र या सर्किट में हेर-फेर करके; या

(ग) ऐसे मीटर की क्रिया में बाधा डालकर या हस्तक्षेप करके; या

(घ) विद्युत प्रदाय लाइन के फेज को छल साधन द्वारा परिवर्तित करके; या

(ङ) धारा 26 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी मीटर, सूचक या यंत्र में छल साधन द्वारा; या

(च) किसी वियोजित संयोजन से; या

(छ) किसी भी अन्य उपाय से;

ऊर्जा को बेईमानी से निकालता है, उपभोग करता है, प्रयोग करता है या लेता है या इस प्रकार बेईमानी से निकालने, उपभोग करने, प्रयोग करने या लेने का प्रयत्न करता है, वह—

(एक) जहां 7.5 किलोवाट से अनधिक लोड निकाला गया, उपभोग किया गया, प्रयोग किया या लिया गया हो या उसे निकालने, उपभोग करने, प्रयोग करने या लेने के लिए प्रयत्न किया गया हो, वहां जुर्माने से जो दो हजार पांच सौ रुपये से कम नहीं होगा और द्वितीय या अनुवर्ती दोष सिद्धि की दशा में जुर्माने से जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा ;

(दो) जहां 7.5 किलोवाट से अधिक किन्तु 20 किलोवाट से अनधिक लोड निकाला गया, उपभोग किया गया, प्रयोग किया गया या लिया गया हो या उसे निकालने, उपभोग करने, प्रयोग करने या लेने के लिए प्रयत्न किया गया हो, वहां जुर्माने से जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा और द्वितीय या अनुवर्ती दोष सिद्धि की दशा में, जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा ;

(तीन) जहां 20 किलोवाट से अधिक किन्तु 40 किलोवाट से अनधिक लोड निकाला गया, उपभोग किया गया, प्रयोग किया गया या लिया गया हो या उसे निकालने, उपभोग करने, प्रयोग करने या लेने के लिए प्रयत्न किया गया हो, वहां जुर्माने से जो सात हजार पांच सौ रुपये से कम नहीं होगा और द्वितीय और अनुवर्ती दोष सिद्धि की दशा में, जुर्माने से जो पैंतीस हजार रुपये से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा ;

(चार) जहां 40 किलोवाट से अधिक किन्तु 75 किलोवाट से अनधिक लोड निकाला गया, उपभोग किया गया, प्रयोग किया गया या लिया गया हो या उसे निकालने, उपभोग करने, प्रयोग करने या लेने के लिए प्रयत्न किया गया हो, वहां जुर्माने से जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा और द्वितीय और अनुवर्ती दोष सिद्धि की दशा में, कारावास से जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा;

(पांच) जहां 75 किलोवाट से अधिक लोड निकाला गया, उपभोग किया गया, प्रयोग किया गया या लिया गया हो या उसे निकालने, उपभोग करने, प्रयोग करने या लेने के लिए प्रयत्न किया गया हो, वहां कारावास से जो छः माह तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा और द्वितीय या अनुवर्ती दोष सिद्धि की दशा में, कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा , दण्डित किया जायेगा।"

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

धारा 39-क का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 39-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

दुष्प्रेरण

"39-क—जो कोई धारा 39 या धारा 39-ग के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 116 में किसी बात के होते हुए भी, उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डित किया जायगा।

स्पष्टीकरण :—कोई व्यक्ति, यथास्थिति, धारा 39 या 39-ग के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो—

(क) ऐसा अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है ; या

(ख) ऐसा अपराध किये जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है ; या

(ग) प्रदायकर्ता का ऐसा कोई अधिकारी या कर्मचारी होते हुए जिसे ऐसे अपराध को निवारित करने का कर्तव्य सौंपा गया है, ऐसे अपराध को साशय या जानबूझकर निवारित नहीं करता है ; या

(घ) ऐसा अपराध करने के लिए किसी षडयंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षडयंत्र के अनुसरण में और ऐसा अपराध करने में कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाये।"

नई धाराओं 39—ख, 39-ग, 39-घ 39-ङ, 39-च और 39-छ का बढ़ाया जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 39-क के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात :—

अपराधों का शमन

"39-ख—इस अधिनियम के अधीन जुर्माने से दण्डनीय किसी अपराध का, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, इस निमित्त पावर कारपोरेशन द्वारा सशक्त किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् ऐसे शमन फीस की वसूली पर जैसा कि वह उचित समझे और जो उस अपराध के लिए नियत जुर्माने की अधिकतम धनराशि से अधिक न हो, शमन किया जा सकता है।

अनाचार

39-ग—जो कोई—

(क) किसी ऊर्जा के विषय में ऐसा व्यवहार करता है या किसी उपकरण का इस ढंग से प्रयोग करता है जिससे प्रदायकर्ता द्वारा किये जा रहे विद्युत के सफल प्रदाय में असम्यक् या अनुचित रूप से बाधा पहुंचे ;

(ख) प्रदायकर्ता की विशिष्ट अनुमति के बिना अनुबंधित भार से अधिक भार अपने परिसर में जोड़ता है :

प्रतिबंध यह है कि यह खण्ड किसी ऐसे उपभोक्ता पर लागू नहीं होगा, जिसने,—

(एक) दस किलोवाट तक अनुबंधित भार ले रखा हो ; या

(दो) अनुबंधित भार से पच्चीस प्रतिशत तक अधिक भार लगा रखा हो, यदि अनुबंधित भार दस किलोवाट से अधिक हो ;

(ग) ऊर्जा की बिक्री के आशय के बिना किसी अन्य परिसर को ऊर्जा का प्रदाय करता है ; या

(घ) प्रदायकर्ता का कोई ऐसा अधिकारी या कर्मचारी होते हुए जिसे,–

(एक) किसी उपभोक्ता के परिसर में लगाये गये मीटर की मीटर रीडिंग को अभिलिखित करने का कर्तव्य सौंपा गया है, ऐसे मीटर रीडिंग को साशय या जानबूझकर अभिलिखित नहीं करता है ; या

(दो) किसी उपभोक्ता के परिसर में लगाये गये मीटर को जो दोषपूर्ण है बदलने का कर्तव्य सौंपा गया है, प्रदायकर्ता को आर्थिक हानि पहुंचाने की दृष्टि से ऐसे दोषपूर्ण मीटर को साशय या जानबूझकर नहीं बदलता है ; या

(तीन) उपभोक्ता द्वारा देय ऊर्जा प्रभार के बिल को तैयार करने का कर्तव्य सौंपा गया है, प्रदायकर्ता को अनुचित हानि या उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए साशय या जानबूझकर त्रुटिपूर्ण बिल बनाता है ; या

(चार) उपभोक्ता ऊर्जा प्रभार का बिल प्रदत्त करने का कर्तव्य सौंपा गया है, उपभोक्ता को ऐसा बिल साशय या जानबूझकर प्रदत्त नहीं करता है; या

(पांच) उपभोक्ता से ऊर्जा प्रभार की वसूली का कर्तव्य सौंपा गया है, उपभोक्ता से ऐसे प्रभार की वसूली करने में साशय या जानबूझकर विलम्ब करता है ; अनाचार करता है।

अनाचार के लिये शास्ति

39-घ–जो कोई अनाचार करता है उसे जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

विद्युत निरीक्षक की शक्तियों पर निबन्धन

39-ङ–इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी विद्युत निरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन ऊर्जा की चोरी या अनाचार से संबंधित मामले के संबंध में कोई शक्ति नहीं होगी।

जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति

39-च–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां जिला मजिस्ट्रेट को धारा 39 या धारा 39-क या धारा 39-घ के अधीन किसी अपराध के किये जाने की सूचना प्राप्त हो, वहां वह ऐसे तात्कालिक उपाय कर सकता है, जैसा वह उचित समझे और अपने अधीनस्थ किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट और अपनी अधिकारिता के भीतर तैनात उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के किसी अधिशासी अभियन्ता को ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए स्थल पर जाने और आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है।

अभियोजन के लिये पूर्व मंजूरी

39-छ–कोई भी न्यायालय उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किये गये इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, जिसके बारे में यह अधिकथित हो कि वह उसके द्वारा तब किया गया था, जब वह अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था या उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित था,–

(क) अवर अभियन्ता या उसके समकक्ष कोई पद धारण करने वाले किसी अधिकारी या कर्मचारी के मामले में, संबंधित मण्डल के मुख्य अभियन्ता (वितरण);

(ख) किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी के मामले में, उक्त कारपोरेशन की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा;

(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, जहाँ वह ऐसा करना आवश्यक समझे, खण्ड (क) और खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्राधिकारी से, इस निमित्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूर्व मंजूरी देने के अपेक्षा कर सकती है, और यदि उक्त प्राधिकारी ऐसी अवधि के भीतर पूर्व मंजूरी देने में विफल रहता है तो राज्य सरकार द्वारा पूर्व मंजूरी दी जा सकती है।

स्पष्टीकरण :– शंकाओं को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार की शक्ति का प्रयोग ऐसे मामले में भी किया जा सकता है, जहाँ खण्ड (क) और खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पहले ही पूर्व मंजूरी देने से इन्कार कर दिया है।"

धारा 48 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 48 में, शब्द और अंक "धारा 39-क" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 39-क, धारा 39-ग" रख दिये जायेंगे।

धारा 49-ख का संशोधन

7–मूल अधिनियम में धारा 49-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"49-ख (1) इस अधिनियम के अधीन कारावास से दण्डनीय कोई अपराध और उसका दुष्प्रेरण संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय या अजमानतीय होना

(2) इस अधिनियम के अधीन केवल जुर्माने से दण्डनीय कोई अपराध और उसका दुष्प्रेरण संज्ञेय और जमानतीय होगा।

49-ग (1) तलाशी लेने और अभिग्रहण करने से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहाँ किसी प्रदायकर्ता या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा 39 या धारा 39-ग के अधीन कोई अपराध किसी परिसर, यान, जलयान या किसी अन्य स्थान में किया गया है, या किया जा रहा है, या किया जाने वाला है, वहाँ वह ऐसी सहायता से, जो अपेक्षित हो,–

तलाशी अभिग्रहण और निरीक्षण

(क) ऐसे परिसर, यान, जलयान या अन्य स्थान में प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है और तलाशी ले सकता है और ऐसे न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकता है जो उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो;

(ख) ऊर्जा की चोरी या अनाचार के किसी साधन का अभिग्रहण कर सकता है जो ऐसे परिसर, यान, जलयान या अन्य स्थान में पाया जाय;

(ग) उक्त अपराध के संबंध में ऐसे परिसर, यान, जलयान या अन्य स्थान के स्वामी या अधिभोगी या किसी अन्य प्रभारी व्यक्ति से किसी लेखाबही या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने या ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकता है;

(घ) किसी लेखाबही या दस्तावेज का परीक्षण या अभिग्रहण कर सकता है जो उसकी राय में किसी अपराध के संबंध में किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत होगा और उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा से ऐसी लेखाबही या दस्तावेज अभिग्रहीत किया जाये, अपनी उपस्थिति में उसकी प्रतियाँ तैयार करने या उससे उद्धरण लेने देगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी परिसर के निरीक्षण करने के दौरान यह पाया जाये कि अधिभोगी ने उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध किया है या अपराध करने का प्रयत्न किया है तो ऐसे परिसर को ऊर्जा का प्रदाय बिना किसी नोटिस के बंद किया जा सकता है और परिसर का निरीक्षण करने वाला अधिकारी स्थल पर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा और जहाँ तक व्यवहार्य हो, ऐसे निरीक्षण के समय उपस्थित अधिभोगी या उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा और निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति उसे देगा और यदि वह उसे

लेने से इन्कार करता है तो निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति 24 घंटे के भीतर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसे भेजगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन तैयार की गयी निरीक्षण रिपोर्ट, समस्त विधिक कार्यवाहियों में उसमें अभिलिखित तथ्यों की प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी।''

निरसन और अपवाद

8—(1) भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2002

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
ए० बी० शुक्ला,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

राज्य में विद्युत की चोरी का आयाम भयावह हो गया था और उसको तत्काल नियंत्रित किया जाना आवश्यक था क्योंकि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास पर हानिकर प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि मुख्यतः "अनुबंधित भार" और "प्रदायकर्ता" को परिभाषित करने, पावर कारपोरेशन में नियोजित और विद्युत वितरण के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को कतिपय परिस्थितियों में उक्त अधिनियम के क्षेत्र के भीतर लाने एवं विद्युत चोरी और उसके दुष्प्रेरण के अपराध के लिये भयपरतिकारी दण्ड का उपबन्ध करने की दृष्टि से भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधन किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नही था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था अतः श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2002 को भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2002) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 1820 (2)/XVII-V-1--1 (Ka)-21-2002

Dated Lucknow, September 18, 2002

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bhartiya Vidyut (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2002) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on September 17, 2002 :—

THE INDIAN ELECTRICITY (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2002

(U.P. ACT NO. 18 OF 2002)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Indian Electricity Act, 1910 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows:—

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Indian Electricity (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2002.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on July 15, 2002.

Amendment of section 2 of Act no. 9 of 1910

2. In section 2 of the Indian Electricity Act, 1910, hereinafter referred to as the principal Act,–

(a) after clause *(c)* the following clause shall be *inserted,* namely:–

"(cc) 'contracted load' means the quantum of load for which the consumer has executed agreement with the supplier or made declaration of utilization of energy, and where no such agreement has been executed, the load sanctioned to him by the supplier;"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2002

(b) after clause *(m)* the following clause shall be *inserted,* namely:–

"(mm) 'supplier' means a licensee, the Uttar Pradesh Power Corporation Ltd., the Government or any other person engaged in the business of supplying energy to the public under this Act or any other law for the time being in force and includes his representative;"

Amendment of section 39

3. In section 39 of the principal Act,–

(a) for sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted,* namely:–

"(1) Whoever uses any energy supplied under one rate schedule for a purpose for which a higher tariff is applicable or dishonestly abstracts, consumes, uses or draws or attempts such dishonest abstraction, consumption, use or drawal of any energy–

(a) otherwise than through a meter referred to in section 26; or

(b) by tampering with such meter or its seals or apparatus or circuits; or

(c) by obstructing or interfering in the functioning of such meter; or

(d) by manipulating change of phase of the electric supply lines; or

(e) by manipulating any meter, indicator or apparatus referred to in sub-section (7) of section 26; or

(f) from a disconnected connection; or

(g) by any other means whatsoever;

shall be punished, where the load abstracted, consumed, used or drawn or attempted to be abstracted, consumed, use or drawn,–

(i) does not exceed 7.5 kilowatt, with fine which shall not be less than rupees two thousand five hundred only and in the event of second or subsequent conviction with fine which shall not be less than rupees ten thousand;

(ii) exceeds 7.5 kilowatt but does not exceed 20 kilowatt, with fine which shall not be less than rupees five thousand and in the event of second or subsequent conviction with fine which shall not be less than rupees twenty five thousand;

(iii) exceed 20 Kilowatt but does not exceed 40 kilowatt, with fine which shall not be less than rupees seven thousand five hundred and in the event of second or subsequent conviction with fine which shall not be less than rupees thirty-five thousand;

(iv) exceeds 40 kilowatt but does not exceed 75 kilowatt, with fine which shall not be less than rupees ten thousand and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment which may extend to six months or with fine which shall not be less than rupees fifty thousand;

(v) exceeds 75 kilowatt, with imprisonment which may extend to six months and with fine which shall not be less than rupees fifty thousand and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment which may extend to three years and

(b) sub-section (3) shall be *omitted*.

Amendment of section 39-A

4. *For* section 39-A of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:–

"39-A. Whoever abets an offence punishable under section 39 or section 39-C shall, notwithstanding anything contained in section 116 of the Indian Penal Code, be punished with punishment provided for the offence.

Abetment

Explanation :–A person abets an offence punishable under section 39 or section 39-C, as the case may be, who–

(a) instigates any person to commit such offence; or

(b) intentionally aids, by any act or illegal omission, the commission of such offence; or

(c) being an officer or employee of the supplier entrusted with the duty to prevent the commission of such offence intentionally or knowingly omits to prevent the commission of such offence; or

(d) engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the commission of such offence, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the commission of such offence."

Insertion of new section 39-B, 39-C, 39-D, 39-E, 39-F and 39-G

5. *After* section 39-A of the principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely :–

"39-B–An offence punishable with fine under this Act may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, be compounded by an officer or authority empowered by the Power Corporation in this behalf either before or after the institution of the prosecution on realization of such composition fee as he thinks fit, not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence.

Compounding of offences

39-C Whoever–

(a) deals with any energy or adapts any appliance, in a manner so as to unduly or improperly interfere with the efficient supply of energy by the supplier; or

Malpractice

(b) connects load at his premises exceeding the contracted load without the specific permission of the supplier :

Provided that this clause shall not apply to a consumer who has,–

(i) a contracted load up to ten kilowatt; or

(ii) an excess load up to twenty five per cent over and above the contracted load where contracted load exceeds ten kilowatt; or

(c) without the intent of sale of energy extends the supply of energy to any other premises; or

(d) being an officer or employee of the supplier entrusted with the duty to,–

(i) record meter reading of the meter installed at the premises of the consumer, intentionally or knowingly omits to record such meter reading; or

(ii) replace a defective meter installed at the premises of a consumer, intentionally or knowingly omits to replace such defective meter with a view to causing pecuniary loss to the supplier; or

(iii) prepare bill of charges for energy payable by a consumer, intentionally or knowingly prepares a wrong bill for causing wrongful loss to the supplier or wrongful gain to the consumer; or

(iv) deliver bill of charges for energy to a consumer, intentionally or knowingly omits to deliver such bill to the consumer; or

(v) realize charges for energy from a consumer, intentionally or knowingly delays realization of such charges from a consumer; is said to commit malpractice.

Penalty for Malpractice

39-D. Whoever commits malpractice shall be punished with fine which may extend to twenty thousand rupees.

Restriction on powers of Electrical Inspector

39-E. Notwithstanding anything contained to the contrary in any other provision of this Act or any other law for the time being in force, no Electrical Inspector shall have any power with regard to a matter connected with with the theft of energy or malpractice under this Act.

Power of District Magistrate

39-F. Without prejudice to the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973, where the District Magistrate receives any information of the commission of an offence punishable under section 39 or section 39-A or section 39-D, he may take such immediate measures as he deems fit and may depute an Executive Magistrate subordinate to him and an Executive Engineer of the Uttar Pradesh Power Corporation Ltd. posted within his jurisdiction to proceed to the spot and take necessary steps for prevention of the commission of such offence.

Previous sanction for Prosecution

39-G. No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act alleged to have been committed by an officer or employee of the Uttar Pradesh Power Corporation Ltd. while acting or purporting to act in the discharge of his official duty except with the previous sanction,–

(a) in case of an officer or an employee who is holding a post up to the rank of Junior Engineer or a post equivalent thereto, of the Chief Engineer (Distribution) of the concerned Zone ;

(b) in case of any other officer or employee, of the said Corporation;

(c) notwithstanding anything contained in clause (*a*) or clause (*b*) the State Government may, where it consider necessary so to do, require the authority referred to in clause (*a*) or clause (*b*) to give previous sanction within the period specified in this behalf and if the said authority fails to give the previous sanction, the previous sanction may be given by the State Government.

Explanation:–For removal of doubts, it is hereby declared that the power of the State Government under this clause may be exercised also in a case where the authority referred to in clause *(a)* or clause (*b*) has earlier refused to give previous sanction."

Amendment of section 48

6. In section 48 of the principal Act, *for* the word and figure "Section 39-A" the word and figures "Section 39-A, Section 39-C" shall be *substituted.*

Amendment of section 49-B

7. In the principal Act, *for* section 49-B, the following sections shall be *substituted*, namely :–

Certain offences to be cognizable and bailable or non-bailable

49-B (1) An offence punishable with imprisonment under the Act and abetment thereof shall be cognizable and non-bailable.

(2) An offence punishable with fine only under this Act and abetment thereof shall be cognizable and bailable.

Search, seizure and inspection

49-C (1) Without prejudice to the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973, relating to search and seizure, where the supplier or any other person authorised by it, in this behalf, has reason to believe that any offence punishable under section 39 or section 39-C has been, or is being or is about to be, committed in any premises, vehicle, vessel or other place, he may with such assistance as may be required,–

(a) enter, inspect and search such premises, vehicle, vessel or other place and may use such minimum force as may be necesssary for the purpose;

(b) seize any means of theft of any energy or malpractice which may be found in such premises, vehicle, vessel or other place;

(c) require the owner, occupier of any other person incharge of such premises, vehicle, vessel or other place to produce any books of accounts or other documents or furnish information in respect of the said offence;

(d) examine and seize any books of accounts or documents which in his opinion shall be useful for or relevant to, any proceedings in respect of an offence and allow the person from whose custody such books of accounts or documents are seized to make copies thereof or take extract therefrom in his presence.

(2) If during an inspection of a premises under sub-section (1), the occupier is found to have committed or attempted to commit an offence referred to in sub-section (1), supply of energy to such premises may be discontinued without any notice and the officer inspecting the premises shall prepare an inspection report at the site and as far as practicable, obtain signature of the occupier or his representative present at the time of such inspection and shall deliver to him a copy of the inspection report and if he refuses to receive it, send a copy of the inspection report by registered post to him within twenty four hours.

(3) An inspection report prepared under sub-section (2) shall, in all legal proceedings he received as *prima facie* evidence of the facts recorded therein."

Repeal and saving

8. (1) The Indian Electricity (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 2002 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 14 of 2002

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
A.B. SHUKLA,
Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Theft of energy had assumed alarming proportions in the State and it was required to be curbed, immediately because the States economy and industrial growth were likely to be affected deleteriously by it. It was, therefore, decided to amend the Indian Electricity Act, 1910 in its application to Uttar Pradesh mainly with a view to defining the 'contracted load' and the 'supplier', bringing the persons employed in Power Corporation and responsible for distribution of electricity within the purview of the said Act in certain circumstances and for providing deterrent punishment for the offence of theft of energy and its abetment.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Indian Electricity (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 2002 (U.P Ordinance no. 14 of 2002) was promulgated by the Governor on July 15, 2002.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 601 राजपत्र (हि०)–(1377)–2002–597–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 171 सा० विधा०–(1378)–2002–850–(कम्प्यूटर/आफसेट)।